तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/9/2017	[illegible] उभयपक्ष को सुना गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण ज़ेर निगरानी आज्ञा अपास्त कर, प्रकरण पुनः ग्राम पंचायत को प्रतिप्रेषित करने हेतु सहमत है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा ज़ेर निगरानी आदेश पारित करने में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145(2)(क), 148 की पालना नहीं की गई है तथा यह भी जांच नहीं की गई है कि अप्रार्थी सं. 2 किस रूप में नियम 158 के तहत भूखण्ड प्राप्त करने की पात्रता रखता है? अतः इस प्रकार ज़ेर निगरानी आज्ञा व इसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत पेरवा द्वारा मिसल संख्या 18 में पारित निर्णय दि० 20/10/2009 एवं इसकी पालना में अप्रार्थी सं. 2 के नाम जारी पट्टा संख्या 02 दि० 20/12/2009 को अपास्त किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत पेरवा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रिकार्ड लौटाया जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। अति. जिला कलेक्टर, पाली	